

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / मा—स / विविध(25) / वो—III / 2025

दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

- विषय :-** विद्यालयों में सांस्कृतिक जागरूकता के संबंध में।
प्रसंग :- वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, जयपुर का पत्र दिनांक : 22.12.2025 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19527387)
सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र दिनांक : 04.12.2025 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19189845)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विद्यालयों में सांस्कृतिक जागरूकता हेतु सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार को स्कूली बच्चों को निजी यूनिफॉर्म में आने की स्वी कृति दिये जाने के साथ ही इसी दिवस को स्टाफ/टीचर्स को हथकरधा वस्त्र/स्थानीय परिधान में जो गरिमामय हो, को पहन कर आने की पहल समस्त राजकीय व गैर—राजकीय स्कूलों में किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त क्रम में प्रासंगिक एवं सन्दर्भित पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों हेतु उपर्युक्तानुसार निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय की ई.मेल. आई.डी. massecondary@gmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : यथोक्त।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन किये जाने बाबत। (जरिये ई—मेल)
5. उपनिदेशक माध्यमिक, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई—मेल)
7. अनुभाग अधिकारी, पी.एस.पी. अनुभाग, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई—मेल)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक को पालनार्थ। (जरिये ई—मेल)
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (जरिये ई—मेल)
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

RajKaj Ref No.:
19792928

eSign DSC